



2026:AHC:21850

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या 1294 वर्ष 2026

चंद्रभान
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: कृष्ण मोहन ओझा
: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मोहन ओझा और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उनका कहना है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निष्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नवीन स्तर पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें प्रारंभ में 01.07.1984 को कार्य एजेंट (एक श्रेणी-तृतीय पद) के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 31.07.2009 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के लोक निर्माण विभाग में कार्य एजेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में अपने समकक्षों की तरह ही समान प्रकृति का काम कर रहे थे और जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे, इसलिए याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रिट याचिका संख्या 3495(एसएस) वर्ष 2006 (अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर की, जिसका निस्तारण लाभ प्रदान करते हुए हो गया, इसके विरुद्ध अंतर-न्यायालय अग्रेज दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया और एसएलपी भी दायर की गई जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अब दिनांक 15.10.2025 का विवादित आदेश पारित किया गया है जिसके द्वारा पुनर्निर्धारण किया गया है और 17.10.2025 को वसूली आदेश भी पारित किया गया है।

4. इसी पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि चुनौती दिए गए आदेशों को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना ही पुनर्निर्धारण किया गया हो और यह धोखाधड़ी, गलतबयानी या छिपाव का मामला नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अन्यथा भी वसूली का निर्देश नहीं दिया जा सकता था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह का निवेदन है कि मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया है। उनके अनुसार, दिनांक 15.10.2025 के आदेश को अपास्त कर दिया जाए और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

8. याचिकाकर्ता का आरोप है कि दिनांक 15.10.2025 का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और याचिकाकर्ता को इसकी सूचना नहीं दी गई है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है। उनके अनुसार, आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाना चाहिए।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य; (1994) 6 एससीसी 154 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, इस पर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से सिविल परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे नोटिस भी नहीं दिया गया था और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, विधि के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई के भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्कर्षात् यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को सिविल परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दिनांक 25.7.1991 का आदेश (जापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और दिनांक 17.9.1993 के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के साथ-साथ दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी अपास्त करते हैं, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।”

10. चूंकि चुनौती दिए गए आदेश के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास आदेश को अपास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क) प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 15.10.2025 को पारित विवादित आदेश और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 17.10.2025 को पारित विवादित प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाता है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ख) याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए मामले को वापस भेजा जाता है।

12. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को 20.02.2026 तक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

13. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

2 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"